न्यायालयःद्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) (समक्षः मोहम्मद अजहर)

<u>दॉ.अपील क.-20/15</u>

संस्थित दिनांक-29 / 12 / 15

- 1 धनश्याम सिंह अमर सिंह पुत्र अमर सिंह आयु 45
- 2. साहब सिंह पुत्र अमर सिंह आयु 47 वर्ष
- 3. वीरेन्द्र सिंह पुत्र सुघर सिंह आयु 30 वर्ष
- 4. सुरेश पुत्र सुघर सिंह पुत्र रामसिंह आयु 28 वर्ष
- सुघरसिंह पुत्र रामसिंह आयु 60 वर्ष समस्त जाति बंजारा निवासी ग्राम बंजारा का पुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थीगण

<u>एवं</u>

<u>दॉ.अपील क.-97 / 16</u>

<u>संस्थित दिनांक-02/01/2016</u>

अन्तराम पुत्र श्री रामसिंह आयु 35 वर्ष जाति बंजारा निवासी ग्राम बंजारा का पुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....<u>अपीलार्थी</u>

विक द्व

म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

.....पृत्यर्थी

राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री सागर सिंह कंषाना अधिवक्ता।

/ / <u>निर्णय</u> / /

(आज दिनांक 18/04/2017 को घोषित किया गया)

1. यह दोनों अपीलें प्रथक-प्रथक रूप धारा-374(3) दं०प्र०सं० के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्री गोपेश गर्ग) के मूल आपराधिक प्रकरण कमांक 80/2009 उन्मान म०प्र० राज्य बनाम घनश्याम एवं अन्य में घोषित निर्णय दिनांक 30/11/15 में अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को धारा—148 भं0द0सं0 के तहत छ :—छः माह के कठिन कारावास एवं 100—100 रूपए के अर्थदण्ड से एवं धारा—323 / 149 भा0दं0सं0 के तहत क्रमशः सगुनी, माधव, पप्पी, कोकसिंह एवं महेश की उपहितयों के लिए एक—एक माह के कठिन कारावास और 100—100 रूपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड जमा न करने पर क्रमशः पांच—पांच दिवस का अतिरिक्त कारावास भूगताए जाने का दण्डादेश किया है।

- 2. उल्लेखनीय है कि एक ही मूल आपराधिक प्रकरण में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दण्डादेश किया गया है तथा घनश्याम, साहब सिंह, वीरेन्द्र सिंह, सुरेश एवं सुघरसिंह द्वारा अपील कमांक 20/16 प्रस्तुत की गई है तथा अन्तराम के द्वारा अपील कमांक 97/16 प्रस्तुत की गई है। एक ही अपराध तथा एक ही निर्णय होने से सुविधा की दृष्टि से इन दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
- 3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 17/01/2009 को सुबह 07:00 बजे के लगभग ग्राम बंजारापुरा में फरियादी महेश की भाभी सगुनी कुए से पानी भरने गई थी, तो घनश्याम कुल्हाडी, साहिब सिंह लाठी, वीरेन्द्र फरसा, अन्तराम लाठी, सुघरसिंह बल्लम, सुरेश फरसा लिए आए और मां की अश्लील गालियां दीं तथा सुरेश ने सगुनी के माथे के ऊपर फरसा मारा, जिससे खून आया, सगुनी घर की तरफ भागी तो उक्त अभियुक्तगण पीछे—पीछे आए। वहां पर फरियादी महेश खड़ा था, तो साहिब ने महेश के दाहिने हाथ में लाठी मारी, सुघर सिंह ने सिर में बल्लम मारा जिससे खून आया। कोकसिंह, माधव, पप्पी बचाने के लिए आए तो कोकसिंह को घनश्याम ने सिर में कुल्हाडी मारी तथा वीरेन्द्र ने छाती में फरसे का ठूंसा मारा, माधव के सिर में अन्तराम ने लाठी मारी तथा एक लाठी बाएं हाथ में मारी। अन्तराम ने पप्पी के बांए हाथ में लाठी मारी तथा जाते समय अभियुक्तगण ने मां की गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी।
- 4. अभियोजन के अनुसार ही उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—01 उसी दिनांक को थाना गोहद चौराहे पर फरियादी महेश के द्वारा की गई तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 07/09 अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 323, 294 तथा 506 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आहतगण महेश सिंह, माधवसिंह, पप्पी, सगुनी एवं कोकसिंह को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया, जिनकी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट क्रमशः प्र0पी0—03 लगायत प्र0पी0—07 है। दौराने अनुसंधान उसी दिनांक 17/01/09 को पुलिस के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0—02 बनाया गया। उसी दिनांक को फरियादी महेश सिंह, आहतगण पप्पी, सगुनी, माधव, कोकसिंह एवं साक्षी औतार सिंह के पुलिस कथन लिए गए। अभियुक्तगण को दिनांक 04/02/2009 को गिरफ्तार किया गया, बाद अनुसंधान अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाते

हुए अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 5. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण पर भा0दं०सं० की धारा—148, 294, 323 एवं 506 भाग—2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर, अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया, जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण को धारा—294 एवं 506 भाग—02 भा0दं०सं० के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया परंतु भा0दं०सं० की धारा—148 एवं 323 / 149 (पांच बार) भा0दं०सं० के तहत दोषसिद्ध करते हुए, प्रश्नगत आदेश से दण्डित किया गया। उक्त दोषसिद्ध एवं दण्डाज्ञा के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
- 6. दोनों अपीलों में प्रमुख आधार यह लिए गए है, कि अभियोजन द्वारा विवेचक की साक्ष्य नहीं कराई गई है, जिससे विवेचना दोषपूर्ण हो जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने वाले की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। साक्षी महेश, पप्पी, सगुनी, माधव एवं औतार ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण द्वारा विरोधाभासी साक्ष्य दी गई है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किए जाने में कानूनी भूल की है। आहतगण को पहुंचाई गई चोटें, जिस शस्त्र द्वारा पहुंचाया जाना अभियोजन कहानी में उल्लेख किया गया है, उसका सामर्थन डाॅं आलोक शर्मा द्वारा नहीं किया गया है। उक्त आधारों पर निवेदन किया है, कि अपील स्वीकार कर अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे।
- 7. राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए, दोनों अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखने का निवेदन किया है।
- 8. इन दोनों अपीलों में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया। जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:--

क्या प्रश्नगत दोषसिद्धी व दण्डादेश इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य है?

-:: सकारण निष्कर्ष ::–

9. इस संबंध में विचारण न्यायालय की साक्ष्य पर विचार किया गया। बचाब पक्ष की ओर से प्रथम बिन्दु यह उठाया गया है कि विवेचक की साक्ष्य नहीं कराई गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है, कि मामले में महेश अ०सा0–01, सगुनी अ०सा0–02, पप्पी

अ०सा०—03, कोकसिंह अ०सा०—05, माधव अ०सा०—06 आहतगण है और उनकी साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत हुई है और वे सारभूत साक्षी होकर महत्वपूर्ण साक्षी है। चूंकि अभियोजन के अनुसार उनके साथ ही घटना हुई है, तब ऐसी स्थिति में विवेचना अधिकारी की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

- 10. अपील में द्वितीय बिन्दु यह उठाया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने वाले की साक्ष्य नहीं हुई है। इस संबंध में महेश अ०सा0—01 ने यह बताया है कि थाने पर उसके द्वारा प्र0पी0—01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार फरियादी महेश अ०सा0—01 ने प्र0पी0—01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है, तब ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित नहीं है।
- 11. तृतीय बिन्दु यह यह उठाया गया है, कि अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, अपितु विरोधाभासी साक्ष्य दिया है। इस संबंध में साक्ष्य पर विचार किया जाना आवश्यक है। महेश अ०सा0—01 सगुनी अ०सा0—02 एवं पप्पी अ०सा0—03 ने घनश्याम, साहब सिंह, वीरेन्द्र, अन्तराम, सुरेश के द्वारा महेश, सगुनी, कोकसिंह, माधवसिंह एवं पप्पी की मारपीट करना और उससे उन्हें चोटें आना बताया है। यद्यपि कोकसिंह अ०सा0—05 और माधवसिंह अ०सा0—06 को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है। परंतु प्रतिपरीक्षण में संपूर्ण घटना को स्वीकार किया है। इस प्रकार से इन दोनों साक्षियों की साक्ष्य से उपरोक्त तीनों साक्षियों की साक्ष्य की मली भांति पुष्टि होती है। इन सभी साक्षियों के साक्ष्य की पृष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी0—01 से भी हो रही है।
- 12. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-०७ ने महेश, माधवसिंह, पप्पी, सगुनी एवं कोकसिंह का दिनांक 17/01/2009 को मेडीकल परीक्षण कर उन्हें साधारण चोटें आना पाया है। उक्त चोटें 06 घंटे की भीतर की होना तथा सख्त एवं मौहथरी वस्तु से आना बताया है, उनकी रिपोर्ट प्र0पी0-03 लगायत 07 है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि हो रही है।
- 13. अपील में बचाव पक्ष की ओर से चतुर्थ बिन्दु यह भी उठाया गया है, कि चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो रही है। विशेष तौर पर इस ओर भी ध्यान आकर्षित कराया गया है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—01 में साहब सिंह और महेश के दाहिने हाथ में लाठी मारना बताया गया है, परंतु दाहिने हाथ में महेश को कोई चोट नहीं है। प्र0पी0—03 के अनुसार महेश के दाहिने हाथ में कोई जाहिराना चोट नहीं पाई गई है। परंतु जहां कि छः व्यक्तियों के द्वारा पांच व्यक्तियों की मारपीट की जा रही है, तब ऐसी स्थिति में सभी चोटों के बारे में बताया जाना स्वाभाविक नहीं है। साक्षियों की साक्ष्य में आपस में कुछ मामूली भिन्नताऐं आईं हैं, परंतु वह ऐसे विरोधाभास नहीं है, कि जिससे उनकी साक्ष्य पर अविश्वास

किया जाए। अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रकट है, कि छः व्यक्तियों द्वारा पांच व्यक्तियों की मारपीट की गई है, तब ऐसी स्थिति में उपयोग किए गए हथियारों, शरीर के जिन स्थानों पर चोट आई है, उन स्थानों तथा घटना के स्थान आदि के संबंध में कुछ भिन्नता आना स्वभाविक है।

- 14. बचाव पक्ष की ओर से महेश अ०सा०—01 के प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव लिया गया है, कि फरियादी पक्ष के लोग कुए से पानी भरकर आ रहे थे और फिसल जाने के कारण उन्हें चोटें आईं थीं। परंतु इस सुझाव से साक्षी के द्वारा इन्कार किया गया है। परंतु इस सुझाव से यह प्रकट होता है, कि बचावपक्ष ने यह स्वीकार किया है, कि फरियादी पक्ष के चोटें आईं थीं। वहीं दूसरी ओर सगुनी अ०सा०—02 को यह सुझाव दिया गया है, कि मंदिर में सफाई कार्य करने के दौरान स्वतः ही गिरने से उसे चोटें आईं। इस प्रकार यहां पर भी यह स्वीकार किया है, कि सगुनी को चोटें आईं थीं। परंतु बचाव पक्ष के यह दोनों आधार बिल्कुल अलग—अलग है। इस प्रकार बचाव पक्ष अपने आधारों पर स्थिर नहीं है।
- 15. कोकसिंह अ०सा०–०5 और माधवसिंह अ०सा०–०6 को यह सुझाव दिया गया है, कि स्कूल की जगह में फरियादी कच्ची दीवाल बनाकर अतिक्रमण कर रहे थे, इस बाबत गांव के लोगों ने और अभियुक्तगण ने शिकायती आवेदन दिया था और इसी कारण से अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया हैं। परंतु इस संबंध में अभियुक्तगण ने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उक्त शिकायती आवेदन की कोई प्रति पेश नहीं की है और न ही अभिलेख तलब कराया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट नहीं होता है, कि उक्त कारण से अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया हो।
- 16. मानवीय संव्यवहार के साधारण अनुक्रम में यह अस्वभाविक प्रतीत होता है, कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी कारण के झूंठा फंसाएगा। इस प्रकरण में भी झूंठा फंसाए जाने का कोई कारण प्रकट नहीं हो रहा है। पांच व्यक्तियों को एक साथ चोटें आना ही यह दर्शित करता है, कि उनके साथ मारपीट की गई है। अभियुक्त / अपीलार्थीगण की ओर से मौखिक रूप से यह आधार लिया गया है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दो घंटे बिलंब से लिखाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है, कि घटना सुबह 07:00 बजे की है, घटनास्थल थाने से लगभग पांच किलोमीटर दूर है। बिलंब का कारण "पैदल आने से" लिखा हुआ है। फरियादी पक्ष ग्रामीण परिवेश के निवासी है। स्वभाविक है, कि उनके द्वारा पैदल जाकर थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई है। इस बिन्द पर बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पांच किलोमीटर दूर पैदल जाकर लगभग सवा दो ६ ांटे बाद 🐠 15 बजे रिपोर्ट लिखाया जाना बिलंब नहीं कहा जा सकता है। जो सवा दो घण्टे की देरी है, वह युक्तियुक्त है और प्रथम सूचना रिपोर्ट त्वरित होना प्रकट होती है।

- 17. अतः ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित होता है, कि अभियुक्तगण के द्वारा लाठी, फरसा, कुल्हाडी जैसे घातक आयुधों से सुसज्जित होकर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अभियुक्तगण को उपहित कारित करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा किया गया तथा फरियादी पक्ष को उपहित कारित करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी महेश, सगुनी, माधवसिंह, पप्पी एवं कोकसिंह को स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 18. इस प्रकार विद्वान विचारण / अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने तथा उक्त पांचों को स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहराकर कोई त्रुटि कारित नहीं है अतः उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।
- 19. अपीलार्थीगण / बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अभिभाषक के द्वारा अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। इस मामले में छः अभियुक्तगण के द्वारा पांच लोगों की घातक आयुधों से सुसज्जित होकर मारपीट की गई है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी / अभियुक्तगण को परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
- 20. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, इस संबंध में उभयपक्ष को सुना गया। घटना दिनांक 17/01/2009 की है अर्थात घटना को हुए आठ वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अभियुक्तगण ने विचारण न्यायालय में इस प्रकरण का सामना किया है तथा विचारण में सहयोग किया है। अपराध पानी के विवाद पर से है तथा अचानक विवाद से उत्पन्न हुआ है। जिसमें कोई पूर्व नियोजित योजना होना प्रकट नहीं होती है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए इतनी लंबी अवधी के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्तगण को कारावास के लिए भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
- 21. अतः अपीलार्थी / अभियुक्तगण को धारा—148 भा०द०सं० के तहत छः माह के कठिन कारावास तथा धारा—323 / 149 (पांच बार) भा०दं०सं० के तहत कमशः एक माह के कठिन कारावास के दण्डादेश को अपास्त किया जाता है।
- 22. धारा—148 भा०दं०सं० के तहत 500/—500/—रूपए के अर्थदण्ड से तथा धारा—323/149 भा०दं०सं० 200—200/—रूपए के अर्थदण्ड से ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। अतः धारा—148 भा०दं०सं० के तहत अर्थदण्ड की राशि 100/—रूपए को बढाया जाकर 500/—रूपए प्रत्येक अभियुक्त के लिए की जाती है। धारा—323/149 भा०दं०सं० के तहत प्रत्येक अभियुक्त के लिए

अर्थदण्ड की राशि 100 / —रूपए को बढाई जाकर क्रमशः सगुनी, माधव, पप्पी, कोकसिंह, एवं महेश प्रत्येक की चोटों के लिए 200—200 / —रूपए की जाती है।

- **23**. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के अपीलार्थी / अभियुक्त के द्वारा 600–600 / – रूपए की राशि जमा कराई जा चुकी रहै। उपरोक्तानुसार प्रत्येक अभियुक्त / अपीलार्थी धारा–148 भा0दं0सं0 के तहत बढी हुई राशि 400/-रूपए अर्थदण्ड के रूप में और जमा करें। प्रत्येक अभियुक्त/अपीलार्थी धारा-323 / 149 भा0दं०सं० के तहत शेष राशि 100-100 / -रूपए अर्थात पांच आहतगण के लिए प्रत्येक अभियुक्त/अपीलार्थी 500-500 / -रूपए की राशि अर्थदण्ड के रूप में ओर जमा करे। इस प्रकार अपीलार्थी / अभियुक्तगण को शेष राशि 900 / – रूपए जमा करानी है और सभी अभियुक्तगण को मिलाकर कुल राशि 5,400 / – रूपए अर्थदण्ड के रूप में जमा जमा करानी है। अभियुक्त / अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त राशि अदा न करने पर अपीलार्थीगण को प्रत्येक को धारा-148 भा0दं0सं0 के तहत एक-एक माह का तथा धारा-323 / 149 (पांच बार) भा0दं0सं0 के तहत क्रमशः एक-एक माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।
- 24. अर्थदण्ड की कुल राशि 9000 / —रूपए में से सभी आहतगण महेश, सगुनी, माधव, पप्पी, कोकसिंह निवासी ग्राम बंजारे का पुरा, थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड प्रत्येक को 1500—1500 / —रूपए की राशि रिवीजन की अवधि पश्चात प्रदान की जावे।
- 25. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ भी नहीं है।
- **26.** अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते है।
- 27. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।
- 28. इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड